



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2009/आश्विन 29, 1931

No. 12]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2009/ASVINA 29, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2009

का.नि.आ. 14(अ).—केंद्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 अक्टूबर, 2009 से चेन्नई स्थित सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसके पास तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र पुदुचेरी की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर अधिकारिता होगी।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2009

S.R.O. 14(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Chennai with effect from 26th day of October, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh and the Union territory of Puducherry.

[F. No. 7(6)/2009/D(AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931

No. 13]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2009

का.नि.आ. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 3 नवम्बर, 2009 से जयपुर में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता राजस्थान राज्य की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2009

S.R.O. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Jaipur with effect from 3rd day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the State of Rajasthan.

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

ANAND MISRA, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 5, 2009/कार्तिक 14, 1931

No. 14]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2009/KARTIKA 14, 1931

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2009

New Delhi, the 5th November, 2009

का.नि.आ. 16(अ).—केंद्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 9 नवम्बर, 2009 से लखनऊ में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

S.R.O. 16(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Lucknow with effect from 9th day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the State of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

ANAND MISRA, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2009/कार्तिक 19, 1931

No. 15]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2009/KARTIKA 19, 1931

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2009

New Delhi, the 10th November, 2009

का.नि.आ. 17(अ).—केंद्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 का उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 16 नवम्बर, 2009 से चंडीगढ़ में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

S.R.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Chandigarh with effect from 16th day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Union Territory of Chandigarh.

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

ANAND MISRA, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

New Delhi, the 18th November, 2009

का.नि.आ. 18(अ).—केंद्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 5 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 23 नवम्बर, 2009 से कोलकाता में सशस्त्र बल अधिकरण की न्यायपीठ को अधिसूचित करती है, जिसकी अधिकारिता पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की राज्यक्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होगी।

S.R.O. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 5 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby notifies the Bench of the Armed Forces Tribunal at Kolkata with effect from 23rd day of November, 2009, which shall have jurisdiction within the territorial limits of the States of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Orissa and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.

[फा. सं. 7(6)/2009/डी (एफटी सेल)]

[F. No. 7(6)/2009/D (AFT Cell)]

आनंद मिश्र, संयुक्त सचिव

ANAND MISRA, Jt. Secy.